

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1177 / 2005 / जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर ।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स आर.बी.मूथा एण्ड कम्पनी, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,  
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामविलास सोनी,  
अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक 24.02.2014

निर्णय

24.2.2014

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2004 के विरुद्ध पेश की गयी थी, जो राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आदेश दिनांक 31.01.2004 के विरुद्ध थी। माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 25.03.2009 के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, निस्तारित कर दी गयी थी। तत्पश्चात्, कर बोर्ड के एकपीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2009 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष "पुनरीक्षण" दायर किया गया। माननीय न्यायालय ने पुनरीक्षण क्रमांक 153/2011 को आदेश दिनांक 13.12.2011 के द्वारा निस्तारित कर प्रकरण को कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित कर, उभय पक्षों को सुनवायी का अवसर प्रदान कर, निर्णय के निर्देश दिये। फलस्वरूप, उपर्युक्त वर्णित पुरानी अपील क्रमांक 1177/2005/जोधपुर के संबंध में निर्णय पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 125.01.2004 को मैसर्स वधवा गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी के वाहन संख्या आर.जे.-31/जी-5312 को बीकानेर में जांच करने पर वाहन में 200 टिन फॉरचयून ब्राण्ड सोयाबीन रिफाईण्ड ऑयल, जोधपुर से श्रीगंगानगर परिवहनीत करना पाया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनीत

लगातार.....2

माल से संबंधित दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा बिल क्रमांक 17155 दिनांक 24.01.2004 कर चुका प्रस्तुत किया गया। उक्त बिल प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रेषिति फर्म मैसर्स राज एण्टरप्राइजेज़, श्रीगंगानगर के नाम जारी किया हुआ तथा इस पर वाहन संख्या आर.जे.-31/जी-5552 अंकित था। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रेषिति फर्म के बारे में दूरभाषिक जांच करने पर उक्त फर्म का श्रीगंगानगर में अस्तित्व नहीं पाया गया। वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत बिल क्रमांक के साथ संलग्न जी.आर.क्रमांक 5231 (प्रदीप रोडलाईन्स) की पायी गयी, जबकि चालक द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल चालान क्रमांक 2673 में जी.आर. क्रमांक 5281 पर 200 टिन तेल जोधपुर से गंगानगर परिवहनीत किया जाना घोषित किया गया है। इस प्रकार वाहन चालक द्वारा उसके वाहन संख्या आर.जे.-31/5312 में परिवहनीत माल के संबंध में प्रस्तुत बिल व चालान वाहन संख्या आर.जे.31/जी-5552 वधवा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के होने के आधार पर माल के साथ वैध दस्तावेज नहीं होना मानते हुये अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक मार्फत प्रेषक व्यवहारी को अधिनियम की धारा 78(5) के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में प्रेषक प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि परिवहनीत माल उन्होंने दिनांक 24.01.2004 को ही जोधपुर स्थित फर्म मैसर्स हरिओम कम्पनी से क्रय किया है एवम् माल कर चुका है। उनके द्वारा बिल क्रमांक 17155 पर वाहन संख्या आर.जे.31/जी-5552 वाहन चालक के बताये अनुसार लिखा गया एवम् फर्म का नाम दलाल की गलती के कारण गलत लिख दिया गया तथा ट्रांसपोर्टर के चालान में बिल्टी नं. गलत होने बाबत उन्हें जानकारी नहीं है। इसके साथ ही व्यवहारी द्वारा माल के क्रय संबंधी मैसर्स हरिओम कम्पनी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को 450 टिन सोयाबीन तेल विक्रय के जारी किये गये 5 बिल दिनांक 24.01.2004 भी प्रस्तुत किये गये। माल के दौरान ट्रांसपोर्टर ने भी चालान क्रमांक 2651 दिनांक 24.01.2004 एवम् 2692 दिनांक 24.01.2004 की छाया प्रतियां प्रस्तुत करते हुये चालान क्रमांक 2651 दिनांक 24.01.2004 के बाद एवम् 2671 दिनांक 24.01.2004 के पहले के चालान प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की गयी। इन जवाबों के आधार पर प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, परिवहनीत माल के संबंध में प्रस्तुत किया गया बिल क्रमांक 17155 दिनांक 24.01.2004 एवम् चालान क्रमांक 3103 दिनांक 24.01.2004 में वाहन संख्या आर.जे.-31/जी-5552 अंकित होने के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल का परिवहन बिना वैध

दस्तावेजों/असत्य दस्तावेजों के किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आदेश दिनांक 31.01.2004 से रू046,500/- आरोपित की गयी। व्यवहारी द्वारा अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये आदेश दिनांक 19.10.2004 के स्वीकार कर ली। उक्त पारित अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 25.03.2009 के प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। तत्पश्चात्, कर बोर्ड के एकलपीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2009 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष "पुनरीक्षण" दायर किया गया। माननीय न्यायालय ने पुनरीक्षण क्रमांक 153/2011 को आदेश दिनांक 13.12.2011 के द्वारा निस्तारित कर प्रकरण को कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित कर, उभय पक्षों को सुनवायी का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत अपील को पुनः निस्तारण के निर्णय के निर्देश दिये। फलस्वरूप, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में समय-समय पर सुनवायी की जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अभिवाक् किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि वाहन संख्या आर.जे/जी-5312 में परिवहनीत किये जा रहे 200 टिन फॉरचयून ब्राण्ड सोयाबीन ऑयल के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी बिल क्रमांक 17155 दिनांक 24.01.2004 में वाहन संख्या आर.जे.-31/जी-5552 अंकित था। इस प्रकार वक्त जांच वाहन संख्या आर.जे.31/जी-5312 में परिवहनीत किया जा रहा माल 200 टिन सोयाबीन ऑयल वैध दस्तोवजों से समर्थित नहीं होने से अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक/व्यवहारी को सुनवायी का अवसर देने एवम् वांछित जांच के बाद माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत था, जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है।

अग्रिम कथन किया कि अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप 18 ए पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अपने उक्त कथन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै0 गुलजग इण्ड0 बनाम वा0क0अ0 18 टैक्स अपडेट 321 के निर्णय को संदर्भित कर उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनीत माल कर चुका था तथा मैसर्स राज एन्टरप्राइजेज, श्रीगंगानगर के बिल क्रमांक 17155 दिनांक 24.01.2004 द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के वाहन संख्या आर.जे.31/जी-5312 द्वारा परिवहनीत किया गया था। उक्त माल व्यवहारी द्वारा मैसर्स हरिओम कम्पनी, मण्डोर जोधपुर से जरिये बिल क्रमांक 21522 दिनांक 24.01.2004 से कय किया जाकर भिजवाया गया था और मैसर्स हरिओम कम्पनी जोधपुर द्वारा जारी बिल में भी वाहन संख्या आर.जे.31/5312 अंकित किया गया था । व्यवहारी द्वारा जारी बिल मैसर्स राज एन्टरप्राइजेज के नाम दलाल के बताये अनुसार बनाया गया तथा वाहन चालक क अपने वाहन का नम्बर आर.जे. 31/जी-5552 बतलाने पर बिल में वाहन के नम्बर आर.जे.31/जी-5552 अंकित किये गये। अतः उक्त त्रुटि व्यवहारी से सद्भावनावश हुयी और इसमें उसकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी।


अग्रिम अभिवाक् किया कि बिल क्रमांक 17155 दिनांक 24.01.2004 का माल वाहन संख्या आर.जे.31/जी-5552 से उसी दिन श्री गंगानगर परिवहनीत किया जाकर वाहन संख्या आर.जे.31/जी-5312 को दोबारा परिवहनीत किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी के परिवहनीत माल को दोबारा परिवहनीत कर, करापवंचन की मंशा एवम् दोषी मनोभाव सिद्ध किये बिना ही अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित करने हेतु पारित आदेश अविधिक एवम् अनुचित था। उनके द्वारा अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश को अपास्त कर, पारित अपीलीय आदेश दिनांक 19.10.2004 की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी ।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड का परिशीलन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि :-

The explanation furnished by the assessee before the learned Dy. Commissioner (Appeals) appeared to be bonafide and was therefore, accepted by the learned Dy. Commissioner (Appeals). The sequence of dates of bills raised by the predecessor-in-title of goods of the petitioner assessee, namely Hari Om Company and the Bill raised by the present petitioner-assessee appears to be in same sequence, both the Bills being of same date of 24.01.2004. The mention of wrong truck number and wrong mention of similar name of purchasing dealer could be a bonafide mistake also. The final fact finding body, namely, the tax Board ought to have atleast adverted to this material and explanation of the petitioner assessee and for the given reasons of course, it could reverse the findings of the learned Dy, Commissioner (Appeals), but without adverting to this material and findings, the order of the Tax Board restoring the penalty, becomes foundation-less order.

चूंकि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कर बोर्ड के आदेशों को निरस्त करते हुये उपर्युक्त निष्कर्ष जारी किये हैं एवम् कर बोर्ड के निर्णय 25.03.2009 को बेबुनियाद अवधारित कर दिया गया है। अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध साक्ष्यों एवम् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निष्कर्षों के अनुरूप पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6. निर्णय सुनाया गया ।

  
21.2.2014  
(मदन लाल)  
सदस्य